

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
जौनपुर
(अल्प कालीन निविदा सूचना)

पत्रांक - /

दिनांक-

1- महामहिम राज्यपाल, उ०प्र० की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, जौनपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा लो०नि०वि० में श्रेणी ए०, बी०, सी०, एवं डी० में पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से प्रतिशत दरों में अधोलिखित कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित करते हैं।


2-

क्र० सं०	जिला	कार्य का नाम	लागत (लाख रू० में)	धरोहर धनराशि (रू० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता कार्यालय	अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय	जिलाधिकारी	मुख्य अभियन्ता कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
स्वीकृति के प्रत्याशा में										
1	जौनपुर	टी०एस० रोड किमी०-22 से बड़का पुरवा सम्पर्क मार्ग	5.00	0.50	225+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
2	जौनपुर	डोमी से अरन्द सम्पर्क मार्ग के सामान्य मरम्मत के कार्य	30.00	3.00	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
3	जौनपुर	रसूलपुर से पटैला सम्पर्क मार्ग	10.00	1.00	225+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
4	जौनपुर	सोरिया से हाजौनगर होते हुए अकबरपुर सम्पर्क मार्ग	30.00	3.00	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
5	जौनपुर	छमवों सम्पर्क मार्ग	10.00	1.00	225+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
6	जौनपुर	डोमपुर सम्पर्क मार्ग	30.00	3.00	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
7	जौनपुर	भादी उसरा भादी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	14.00	1.40	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
8	जौनपुर	पक्कनपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	18.00	1.80	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
9	जौनपुर	एल०डी० रोड किमी० 212 से डढ़वाड़ा सहाय सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	37.00	3.70	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
10	जौनपुर	ताखा नसरिख सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	30.00	3.00	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
11	जौनपुर	ढढ़वारा खुर्द सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	20.00	2.00	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़

12	जौनपुर	भादी-उसररहिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	11.00	1.10	225+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0 आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0 आजमगढ़
13	जौनपुर	निवरहों कला से गायत्री नहर चौरहा तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	28.00	2.80	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0 आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0 आजमगढ़
14	जौनपुर	फन्धी-भटौली मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	32.00	3.20	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0 आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0 आजमगढ़
15	जौनपुर	गौधीनगर बगौझर(कजाटीवीर) सिरडी साई धाम मंदिर तक) विशेष मरम्मत का कार्य	36.00	3.60	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0 आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0 आजमगढ़
16	जौनपुर	कधी भटौली सम्पर्क मार्ग के किमी0 3 से वार्ड सारिक राम यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य	36.00	3.60	300+500 +Vat	3 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0 आजमगढ़	जिलाधिकारी जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0 आजमगढ़

- 3- प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि कालम वर्षा ऋतु को शामिल करते हुये कालम-7 में वर्णित है।
- 4- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी।
- 5- कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र(Bidding Document) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय एवं पंजाब नेशनल बैंक से दिनांक 26.02.2016 से दिनांक 29.02.2016 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र या पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से मगाये जाने की अवस्था में टेकेदार को दिनांक 29.02.2016 को सायं 4:00 बजे के पूर्व रु0 200 अतिरिक्त जमा करने होंगे। डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.uppwd.up.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं जिसके निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 जौनपुर के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा। जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।
- 6- वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र प्रमाणित मानी जायेगी।
- 7- निविदाये कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता या जिलाधिकारी अथवा मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में दिनांक 01.03.2016 को 12.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी, जिसकी तकनीकी/वित्तीय निविदाएं अगले कार्यकारी दिवस दिनांक 02.03.2016 को दोपहर 12:30 बजे जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय परिसर स्थित सभागार में निविदादाताओं(जो उपस्थित होना चाहते हैं) के समक्ष खोली जायेगी तथा निविदा प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है जो निविदाएं अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त एवं खोली जायेगी तथा निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी।
- 8- प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा कि कालम में दर्शाया गया है को संलग्न करना अनिवार्य होगा जो एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 जौनपुर के पक्ष में बन्धक होगा जो कि निविदा की वैधता से 45 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है।
- 9- ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी निविदा दाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिस्तेदार का एफ0डेविड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो कि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- 10- ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवा निवृत्त के पूर्ण नहीं हुये हैं, को कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- 11- निविदा प्रपत्र तथा अन्य सूचनायें यथा, अर्हता सूचना और निविदा दाता की पात्रता की शर्तें, विभिन्न श्रेणी के निर्माण कार्य की विशिष्टियां प्लान/ड्राइंग, शिड्यूल आफ क्वान्टिटी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में दिनांक 26.02.2016 से दिनांक 29.02.2016 तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती हैं।
- 12- आपराधिक रिकार्ड वाले किसी भी निविदा दाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13- राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदा दाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 14- निविदा दाता को प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित प्रोफार्मा (टी0-4,टी0-5 तथा टी0-6) प्रमाणित छाया प्रति तथा निविदा खुलने के समय मूल दिखाना आवश्यक होगा।
- 15- शासनादेश सं0 383/36-2-2010 श्रम अनुभाग-2 दिनांक 26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा भारत विनियमन) नियमावली-2009 के अन्तर्गत टेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। इसलिए निविदा की स्वीकृति के पश्चात एक सप्ताह में उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुबन्ध गठित किया जा सकेगा, अन्यथा जारी की गयी स्वीकृति वापिस ले ली जायेगी।

- 16- ₹0 10.00 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों हेतु प्रत्येक निविदा दाता को निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्नक-1) पर बिड कैपिसिटी के आकलन हेतु सभी सूचनाओं को शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक निविदा दाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा डालने के पूर्व स्वयं की बिड कैपिसिटी के विषय में संतुष्ट हो जायें। बिड कैपिसिटी का आकलन सेक्शन-3 के अनुसार किया जाएगा।
- 17- विभागीय दरों से कम दरें प्राप्त होने की स्थिति में शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2आडिट/08टी0सी0-2 दिनांक 08.06.12 के अनुसार अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारन्टी अनुबन्ध गठन के समय देय होगी।
- 18- किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।


अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
जौनपुर